



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 वैशाख 1942 (श0)
(सं0 पटना 288) पटना, मंगलवार, 12 मई 2020

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

26 दिसम्बर 2019

सं० 2124— श्री रामजानकी मंदिर ग्राम+पो0— हरिनगर, था0— कुशेश्वर स्थान, जिला— दरभंगा पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं०— 4512/2019 है।

इस न्यास के संबंध में पर्षद में श्री कामेश्वर राम एवं अन्य द्वारा दिए गए आवेदन पत्र दि०— 07/10/16 में कुछ दबंग लोगों द्वारा न्यास सम्पत्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया, जिसके आलोक में अंचलाधिकारी, कुशेश्वर स्थान से पर्षदीय पत्रांक— 2583, दि०— 02/01/17 द्वारा एक प्रतिवेदन की मांग की गई। इसके अनुपालन में अंचलाधिकारी, कुशेश्वर स्थान ने पत्रांक— 280, दि०— 10/03/17 द्वारा प्रतिवेदित किया कि खाता सं०— 182 के विभिन्न खेसराओं में कुल 8.35 एकड़ भूमि मंदिर के नाम से है तथा खेसरा सं०— 340, रकबा— 14 डी0 में मंदिर अवस्थित है। उक्त भूमि पर महंत मिश्र परिवार के साथ रहते हैं तथा कुछ भूमि पर ग्रामीणों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है। बैरी मौजा के खाता सं०— 701 का रकबा— 3.05 एकड़ भूमि श्री राम जानकी के नाम इन्द्राज है। वर्तमान में मंदिर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। उसकी देख-रेख व सुरक्षा-व्यवस्था करने वाला कोई नहीं है। न्यास सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु न्यास समिति के गठन के लिए आम सभा के माध्यम से 11 नामों की सूची भी पर्षद को प्राप्त हुई है।

उपरोक्त परिस्थिति में उक्त मंदिर के सुचारु प्रबंधन एवं सम्यक् विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा— 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन हेतु एक न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा— 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं०— 43 (द) के तहत “अध्यक्ष” को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए “श्री रामजानकी मंदिर ग्राम+पो0— हरिनगर, था0— कुशेश्वर स्थान, जिला— दरभंगा” के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. अधिनियम की धारा— 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री रामजानकी मंदिर न्यास योजना, ग्राम+पो0— हरिनगर, था0— कुशेश्वर स्थान, जिला— दरभंगा” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री रामजानकी मंदिर न्यास समिति, ग्राम+पो0— हरिनगर, था0— कुशेश्वर स्थान, जिला— दरभंगा” जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तारित भूमि "यदि कोई हो तो", उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
12. महंत मिश्र समिति के सदस्यों के साथ सहयोग कर मंदिर के पूजा-पाठ, राग-भोग आदि का कार्य दैनिक रूप से सम्पादित करें।
13. समिति को निर्देश दिया जाता है कि मंदिर और मंदिर की भूमि से होने वाली आय, जो बन्दोवस्ती आदि से प्राप्त होगी, उसमें से 2000/- रु० प्रतिमाह महंत मिश्र को पुजारी के कार्य निष्पादन हेतु भुगतान किया जायेगा।
14. समिति को यह भी निर्देश दिया जाता है कि प्रशासन व सक्षम अधिकारियों के सम्पर्क कर शीघ्र अतिक्रमण मुक्त करने का प्रयास करें।
15. न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलान/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो वह शुन्य वो अवैध होगा।
16. राजस्व अभिलेख में मंदिर की सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मंदिर में प्रतिष्ठित देवता "श्री राम जानकी मंदिर" के नाम पर ही रहेगा, इसमें किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नामांतरण अथवा संशोधन नहीं होगा।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:-

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. अचलाधिकारी, कुशेश्वर स्थान, जिला- दरभंगा | — | पदेन अध्यक्ष |
| 2. श्री विद्यानन्द झा पे०- स्व० लक्ष्मीकांत झा, ग्रा०- हरिनगर, जिला- दरभंगा | — | उपाध्यक्ष |
| 3. श्री सत्यनारायण मिश्र पे०- युगेश्वर मिश्र, ग्रा० हरिनगर, जिला- दरभंगा | — | सचिव |
| 4. श्री अर्थनारायण झा (उपसरपंच) पे०- स्व० हरिवंश झा, ग्रा०- हरिनगर, दरभंगा | — | कोषाध्यक्ष |
| 5. श्री दशरथ पंडित पे०- भैयन पंडित, ग्रा०- हरिनगर, जिला- दरभंगा | — | सदस्य |
| 6. श्री विजय मुखिया पे०- स्व० फोद्दार मुखिया, ग्रा०- हरिनगर, दरभंगा | — | सदस्य |
| 7. श्री श्याम देव पासवान पे०- राम श्रृंगार हजारी, ग्रा०- हरिनगर, दरभंगा | — | सदस्य |
| 8. श्री तारकेश्वर झा पे०- स्व० मोहित झा, ग्रा०- हरिनगर, दरभंगा | — | सदस्य |
| 9. श्री राम सोगारथ कमती पे०- स्व० ठक्को कमती, ग्रा०- हरिनगर, दरभंगा | — | सदस्य |
| 10. श्री त्रिवेणी कान्त झा पे० स्व० देव नारायण झा | — | सदस्य |
| 11. श्री पंकज झा पे०- स्व० कृपाल झा, ग्रा०- हरिनगर, दरभंगा | — | सदस्य |

यह योजना तत्काल प्रभावी होगा और इसका कार्यकाल अस्थायी रूप से एक वर्ष या अगले आदेश, जो भी पहले हो तक लागू होगा।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 288-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>